

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

मोहन सिंह बनाम

किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 351/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
05/07/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मोहन सिंह</u></p> <p>पिता श्री <u>चन्दन सिंह राजपूत</u></p> <p>निवासी- <u>किला चित्तौड़गढ़ वगौरह ③</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>सेती (पन्ह. सेती)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>903 मी</u> <u>0.2500</u></p> <p><u>0.05 मी</u>, <u>2231/1996</u> <u>0.3400</u>, <u>0.0600</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> कुल रकबा <u>0.6500</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सेती (पन्ह. सेती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>903 मी</u>, <u>0.05 मी</u>, <u>2231/1996</u> <u>0.2500</u>, <u>0.3400</u>, <u>0.0600</u></p> <p>कुल कीता <u>3</u> रकबा <u>0.6500</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500000</u> रुपये अक्षरे <u>पन्च सौ (500)</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (राजचन्द्र सखीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>